

# FORM NO. III

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामनारायण बनाम शकुन्तला वगै०

किस्म मुकदमा—धारा 73 (2) राज.नगरपालिका अधि.

नंबर 01/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.7.2023	<p>अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 1 व 2 अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निगरानीकार की ओर से प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह नगर परिषद दौसा द्वारा दिनांक 07.03.2013 को जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा द्वारा उक्त पटटे का पंजीयन दिनांक 20.3.2013 को किया गया है। उक्त पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हो कर सिविल न्यायालय को है। प्रकरण धारा 73(2) नगरपालिका अधिनियम के तहत पटटे को निरस्त किये जाने हेतु विचाराधीन है जो इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका पोषणीय (Maintainable) नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ नगर परिषद दौसा का मूल अिलेख न्यायालय की आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर दौसा</p> <p style="text-align: right;"></p>	